

समाहरणालय, बक्सर
(जिला योजना कार्यालय)

अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना

प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 117 (प्र0स0को0)/यो0वि0, दिनांक 01.10.2016 के आलोक में जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र, बक्सर में **Intercom** तथा **Public Address System** का अधिष्ठापन किया जाना है। उक्त कार्य हेतु इच्छुक फर्म/आपूर्तिकर्ता से दिनांक 19-12-2016 को 02:00 बजे अपराहन तक निविदा आमंत्रित किया जाता है एवं उसी दिन 03:00 बजे अपराहन में जिला क्रय समिति के समझ निविदा खोला जाएगा। कार्य की विवरणी एवं निविदा की शर्तें जिला के वेबसाईट www.buxar.bih.nic.in पर देखा जा सकता है।

Specification of Intercome


जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र के सभी काउन्टर तथा पदाधिकारियों के टेबल पर **Intercom** अधिष्ठापन किया जाना है। कुल 20 प्रकोष्ठों पर **Intercom** की सुविधा उपलब्ध कराना है तथा प्रकोष्ठों की संख्या घट या बढ़ भी सकती है।

Specification of Public Address System

जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र पर **Public Address System** उपलब्ध कराना है। इसके लिए **Cordless Mic – 02, Stand Mic – 01** तथा **Amplifier** (आवश्यकतानुसार) एवं आवश्यक सामग्री की आपूर्ति करना है।

कोटेशन आमंत्रित हेतु निविदा समर्पित करने के लिए निम्नलिखित शर्तों का पालन किया जाना आवश्यक है :-

- (i) निविदादाता का निबंधन एवं वाणिज्यकर विभाग में TIN/VAT तथा आयकर विभाग में अद्यतन रिटर्न दाखिल करने का प्रमाण-पत्र एवं नियमानुसार **Audited Balance Sheet** होना चाहिए।
- (ii) सामग्रियों की आपूर्ति एवं अधिष्ठापन आदेश निर्गत करने की तिथि से 15 दिनों के अन्दर करनी होगी।
- (iii) निविदा के साथ **Intercom** के लिए 5000.00 (पाँच हजार) रुपये मात्र एवं **Public Address System** के लिए 2500.00 (दो हजार पाँच सौ) रुपये मात्र की अग्रधन के रूप राशि जमा करनी होगी, जो जिला योजना पदाधिकारी, बक्सर के पदनाम से **Bank Draft** के रूप में स्वीकार्य होगा।
- (iv) **Specification** दिनांक 12.12.2016 को पूर्वार्हन् 10:30 बजे से 03:00 बजे अपराहन की अवधि में जिला योजना कार्यालय, बक्सर से प्राप्त किया जा सकता है।
- (v) **Intercome** एवं **Public Address System** के लिए आपूर्तित सामग्री उच्चतम गुणवत्ता का होना आवश्यक है। इस हेतु गुणवत्ता प्रमाण-पत्र तकनीकी बीड में संलग्न करना आवश्यक होगा।
- (vi) फर्म/आपूर्तिकर्ता को अधिष्ठापित किये जाने वाली सामग्रियों का रख-रखाव, वारंटी/गारंटी तीन वर्ष तक देना होगा।
- (vii) कोटेशनदाता के द्वारा कोटेशन के साथ जमा किये गये सभी कागजात स्वअभिप्रमाणित मुहर सहित रहना चाहिए।
- (viii) वित्तीय कोटेशन में अधिष्ठापित की जाने वाली सामग्रियों का दर सभी कर सहित अंकित रहना चाहिए।
- (ix) यातायात के क्रम में उपकरणों की टूट-फूट होने की स्थिति में निविदादाता स्वयं जिम्मेदार होंगे।
- (x) निविदादाता को काली सूची में दर्ज नहीं होने का नोटरी पब्लिक द्वारा शपथ-पत्र देना होगा।
- (xi) किसी भी विवाद की स्थिति में विवाद का निपटारा जिला न्यायालय, बक्सर में होगा।
- (xii) अधोहस्ताक्षरी को बिना कारण बताए निविदा रद्द करने का अधिकार सुरक्षित होगा।


20.11.16
जिला पदाधिकारी,
बक्सर।